महत्वपूर्ण/गो संरक्षण

संख्या-2006/सैंतीस-2-2024-5(2)/2018टीसी

प्रेषक,

के0 रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1- निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र, लखनऊ।

2- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड-2,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

3- समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक 20 सितम्बर, 2024

विषयः-वृहद गो संरक्षण केन्द्रों की व्यवस्था एवं अवस्थापना सुविधा के निरीक्षण के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि निराश्रित गोवंश का संरक्षण एवं भरण-पोषण हेतु सरकार कटिबद्ध है। शासनादेश संख्या 4324/37-2-2018-5(53)/2018 दिनांक 02.01.2019 द्वारा नीति का प्रख्यापन तथा समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। जनपद की आवश्यकतानुसार निराश्रित गोवंश के संरक्षण हेतु वृहद गो संरक्षण केन्द्रों का निर्माण कर, संरक्षण एवं भरण-पोषण किया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों, समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय वृहद गो संरक्षण केन्द्रों की स्थिति ठीक नहीं है।

2- अतएव सम्यक विचारोपरान्त, मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड-2 एवं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा जनपद के समस्त वृहद गो संरक्षण केन्द्रों के निरीक्षण किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड-2 द्वारा मण्डल के प्रत्येक जनपद के कम से कम 02 वृहद गो संरक्षण केन्द्रों का निरीक्षण मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर किया जायेगा।

(2) मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड-2 द्वारा निरीक्षण हेतु चिन्हित किये गये वृहद गो संरक्षण केन्द्रों के अतिरिक्त, अन्य समस्त वृहद गो संरक्षण केन्द्रों का निरीक्षण, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से किया जायेगा।

(3) वृहद गो संरक्षण केन्द्रों के निरीक्षण के समय यह देखा जाय कि कार्यदायी संस्था द्वारा मानक के अनुरूप तथा लेआउट के अनुसार कार्य किया गया है।

(4) वृहद गो संरक्षण केन्द्रों में जलभराव एवं कीचड़ की स्थिति है, तो कार्यदायी संस्था द्वारा इसका समुचित निवारण क्यों नहीं सुनिश्चित किया गया।

(5) यदि मानक/लेआउट के अनुसार वृहद गो संरक्षण केन्द्र का निर्माण नहीं हुआ है तथा जलभराव, कीचड़ की स्थिति है, तो कार्यदायी संस्था का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय।

(6) गोवंशों के भरण-पोषण हेतु आवश्यक चारा-भूसा एवं हरे चारे आदि के संबंध में व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाय।

(7) वृहद गो संरक्षण केन्द्रों की निरीक्षण आख्या मय फोटोग्राफ, निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ को ई-मेल आई०डी० jdgoshala.up@gmail.com पर दिनांक 25.09.2024 तक उपलब्ध काराई जाय।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by
"RAVINDER NAIK KHATRAVATH"
Date: 20-09-2024 20:42:18
(के० रविन्द्र नायक)
प्रमुख सचिव।

संख्या-2006(1)/सैंतीस-2-2024- तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र०, शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।